

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए स्पाइसेस बोर्ड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हम ने स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम ,1986 की धारा 24 के साथ पठित नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (कर्त्तव्य,शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19(2) के अधीन स्पाइसेस बोर्ड (बोर्ड) के संलग्न तुलन-पत्र, जैसे कि 31 मार्च 2012 को है, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे और प्राप्त एवं भुगतान लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में बोर्ड की यूनिटों/शाखाओं के लेखे शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी हैं। हमारी ज़िम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

- 2) इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखापरीक्षा रीतियों, लेखा मानकों एवं प्रकटीकरण-मानकों आदि के अनुसार लेखा प्रणाली पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियां निहित हैं। विधि, नियम व विनियम(औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता व निष्पादन पहलू आदि ,यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ज़रिए अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।
- 3) हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक यही अपेक्षा करते हैं कि इसके बारे में उचित आश्वासन प्रकट करने के लिए हम इस लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करते हैं कि क्या ये वित्तीय विवरण गलत वस्तुगत विवरणों से रहित है। लेखापरीक्षा में, जांच आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों एवं प्रकटन का समर्थन करनेवाले प्रमाणों की परख शामिल है। लेखापरीक्षा में मैनेजमेंट द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों एवं तैयार किए गए उल्लेखनीय आकलनों का निर्धारण तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा अपनी राय के लिए एक उचित आधार मुहैया करती है।
- 4) अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (i) हमें सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण, जो अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थीं ,प्राप्त हुई हैं।
 - (ii) इस रिपोर्ट में दिये गए तुलन-पत्र एवं आय व व्यय लेखा वित्तीय मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं लेकिन प्राप्त एवं भुगतान लेखा वित्तीय मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार नहीं किया है।

(iii) हमारी राय में बोर्ड द्वारा स्पाइसेस बोर्ड नियम 1987 के नियम 18(1) के साथ पठित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन अपेक्षित लेखा एवं अन्य संगत रिकार्ड उचित रूप से बनाए रखे गए हैं, जैसे कि ऐसी बहियों की हमारी परीक्षा से लगता है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) तुलन-पत्र

1.1 चालू देनदारियाँ तथा प्रावधान (अनुसूची 7)- 64.89 करोड़ रुपए

(अ) वर्ष 2012-13 के लिए बकाया खर्च के प्रावधान न होने के कारण 69.69 लाख रुपए तक के लिए कम करके बताया गया है और तदनुसार, उसी हद तक आय से अधिक व्यय की अधिकता कम करके दिखाई गई है।

(आ) सेवानिवृत्त लाभ के भाग के रूप में कर्मचारियों के पेंशन, छुट्टी वेतन और उपदान के तौर पर देनदारी के कम प्रावधान के कारण 125.26 करोड़ रुपए तक के लिए कम करके बताया गया है। आय से अधिक व्यय की अधिकता (अर्थात् घाटा) को भी उस हद तक कम करके दिखाई गई है।

2. परिसंपत्तियाँ

2.1 स्थिर परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 8): 168.72 करोड़ रुपए

लेखा के लिए एकीकृत प्रपत्र की अनुसूची 8 1(बी) नोट के अनुसार पट्टे की अवधि समाप्त होने पर ज़मीन पर भुगतान किए गए पट्टा प्रीमियम परिशोधित किया जाना है। परिशोधन न होने से ज़मीन का पट्टा 14.70 लाख रुपए तक के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताने और उस रकम तक के आय के ऊपर खर्च की अधिकता को कम करके बताया गया है।

2.2 निर्धारित/धर्मस्व निधियाँ, सामान्य भविष्य निधि निवेश खाते से निवेश 14.98 करोड़ रुपए

निर्धारित निधि (अनुसूची 9) से निवेश के अधीन लेखाकरण करने के बजाय चालू परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-11) के अधीन निर्धारित निधियों के रूप में निवेश का लेखाकरण किए जाने के कारण 23.76 करोड़ रुपए (22.76 करोड़ रुपए के अल्पकालीन जमा और अर्जित एक करोड़ ब्याज) तक के लिए कम करके दिखाया गया है।

2.3 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) 57.88 करोड़ रुपए

विश्लेषणात्मक चार्ज की संदेहात्मक प्राप्ति के प्रावधान न होने के कारण 45.45 लाख रुपए तक के लिए बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई है। फलस्वरूप, उस रकम के लिए आय से अधिक व्यय की अधिकता (घाटा) को कम करके दिखाया गया है।

(बी) वर्ष 2012-13 के लिए आय और व्यय लेखा

2.4 अनुसूची 30- मूल्यहास : 17.13 करोड़ रुपए : मकान : 10.36 करोड़ रुपए

इसमें वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान मूल्यहास के कम प्रावधान के समायोजन दिखाते हुए 2.44 करोड़ रुपए शामिल किया है। इस रकम को वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे में दिखाने के बजाय पिछली अवधि नामे के अधीन लेखा में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके कारण वर्ष के लिए आय और व्यय की अधिकता की अत्युक्ति हुई और प्रति 2.44 करोड़ रुपए तक के पूर्व अवधि समायोजन (घाटा) को कम करके दिखाया गया है।

(ग) सामान्य

निम्न प्रकटीकरण लेखों के निर्धारित एकीकृत प्रपत्र के अनुसार नहीं है:

- (1) अनुसूची 3- निर्धारित/धर्मस्व निधि : वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के आंकड़ों और अनुदान के लिए संलग्न निबंधनों के अनुसार जोड़ाई की गई ।
- (2) अनुसूची 8- स्थिर परिसंपत्तियाँ : ज़मीन को पूर्ण स्वामित्व और पट्टा-धृति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। उसीतरह मकानों को (अ) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर (आ) पट्टा-धृति ज़मीन पर (इ) फ्लैट/प्रेमिसेस का स्वामित्व और (ई) ज़मीन पर अधिरचना अस्थितव से संबन्धित नहीं है।
- (3) बैंक शेष के अधीन, निर्धारित/धर्मस्व निधि के खिलाफ बैंक में रही राशि को अलग अलग रूप में प्रकट करना चाहिए(अनुसूची 11)
- (4) अनुसूची -18 : स्रोत से काटा गया कर
- (5) अनुसूची -22 : प्रशासनिक खर्च : जहां प्रत्येक खर्च का मूल्य 5000 रुपए से अधिक होता है उसे "अन्य" के अधीन शामिल करना चाहिए ।
- (6) अनुसूची-23 : अनुदान और इमदाद पर खर्च के खिलाफ, प्रत्येक मामले में अनुदान/इमदाद की राशि के साथ स्वामि का नाम और उनके क्रियाकलाप
- (7) अनुसूची-66: महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुसार "निवेश" को "दीर्घकालीन निवेश" और "चालू निवेश" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। लेखों में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया।

(घ) टिप्पणियों का प्रभाव

उपर्युक्त दी गई टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह है कि देनदारियों को 128.40 करोड़ रुपए तक कम करके दिखाया गया और परिसंपत्तियों को 0.60 करोड़ तक कम करके दिखाया गया है और आय से अधिक खर्च पर अधिकता 124.12 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया है।

(ङ) अनुदान

वर्ष के दौरान 129.75 करोड़ रुपए के लिए अनुदान प्राप्त हुए, जिसमें से 31 मार्च 2013 तक 20.75 करोड़ रुपए अनुपयुक्त छोड़ते हुए 109 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया।

(च) प्रबंधन पत्र

कमियां, जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उनकी पूर्ति/सुधार के लिए, अलग रूप से जारी किए एक प्रबंधन पत्र के जरिये अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड के ध्यान में लाया गया है ।

(v) पहले के पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में दिये गए तुलन पत्र एवं आय और व्यय लेखा / प्राप्ति और अदायगी लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं ।

(vi) अपनी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताए गए उल्लेखनीय मामलों के अधीन और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध - I में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण पेश करते हैं ।

अ) जैसे कि 31 मार्च 2013 को है, यह जहां तक स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची के कार्यकलापों की स्थिति से, तुलन-पत्र से संबन्धित है; तथा

आ) यह जहां तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय लेखे से संबन्धित है।

(ह.)

(एम.व.राजेश्वरी)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और की ओर से
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक

स्थान : चेन्नई

दिनांक: 01.11.2013

1. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

बोर्ड में मौजूदा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली नीचे दिए अनुसार अपर्याप्त थी :-

- स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर को नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जा रहा था ।
- सिविल निर्माण कार्यों के उचित विवरण/रजिस्टर नहीं बनाए रखे गए हैं ।
- वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए बोर्ड के पास लेखा-साफ्टवेयर मौजूद है । सहज त्रुटियों के कारण, बोर्ड वित्तीय विवरणियां तैयार करने में असमर्थ रहा । साथ ही, एफ ए एस द्वारा सृजित कच्चा मिलान गलत रहा जो कच्चा मिलान और वित्तीय विवरणियों की हाथों से तैयारी में परिणत हुआ ।
- तुलन पत्र और प्राप्ति और अदायगी एवं लेखा में वर्ष 2012-13 के अंत तक नकदी शेष "शून्य" के रूप में दिखाया गया है जो वास्तव में गलत है क्योंकि बोर्ड ने प्रादेशिक कार्यालयों को अग्रदाय और स्थिर अग्रिम दिया है। 31 मार्च 2013 तक नकद शेष बाकि में स्पाइसेस बोर्ड के अधीन के सभी कार्यालयों के नकद शेष शामिल नहीं हैं। आगे, 31 मार्च 2013 तक के वित्तीय विवरणों के नकद शेष में हाथ में ड्राफ्ट और चेक तथा स्टाम्पों व फ्रांकिंग मशीन में शेष को शामिल नहीं किया है।
- स्पाइसेस बोर्ड के 'मैनुअल ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन' की पैरा सं. 3.5.5 के अनुसार नकद का वास्तविक शेष, अनुभाग अधिकारी द्वारा सावधि रूप से और महीने के अन्तिम दिनों में कार्यालय के प्रमुख द्वारा नियमित रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए । आगे यह भी बताया गया है कि महीने के अंत तक रोकड बाकी का सत्यापन प्रमाणपत्र भी शेष को शब्दों और ऑकड़ों - दोनों में विनिर्दिष्ट करते हुए और मूल्यवर्गवार भी दर्ज किया जाना चाहिए । लेकिन यह देखा गया है कि मुख्यालय में बोर्ड द्वारा रोकड बाकी का सत्यापन नहीं किया जा रहा है लेकिन विपणन कार्यालयों, प्रादेशिक कार्यालयों, आंचलिक व क्षेत्र कार्यालयों में नहीं किया गया है।

2. परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन की प्रणाली

जीएफआर 2005 के नियम 192 के अनुसार, साल में एक बार स्थिर परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जाना चाहिए और तदनुरूप रजिस्टर में सत्यापन का परिणाम दर्ज किया गया। विसंगतियों, अगर हैं तो, को सही ढंग से जांच किया जाना चाहिए और लेखा में लाना चाहिए। स्पाइसेस बोर्ड के " मैनुअल ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन " की पैरा सं.12.5.3 बताता है कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रत्येक स्टॉक होल्डर द्वारा परिसंपत्ति का वस्तुगत सत्यापन किया जाना चाहिए और रजिस्टर में प्रत्येक मद के मामले में वस्तुगत सत्यापन के आवश्यक प्रमाणपत्र दर्ज किए जाने चाहिए । हालांकि बोर्ड की स्थिर परिसंपत्तियां 168.72 करोड रुपयों की हैं, उसका वस्तुगत सत्यापन किया जाना शेष है और जो जीएफआर और मैनुअल ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का उल्लंघन है और दस से अधिक वर्षों के लिए वह बकाया राशि में है।

3. स्टॉक की वस्तुगत जांच की प्रणाली

- बोर्ड में स्टॉक की वस्तुगत जांच की प्रणाली नीचे दिए अनुसार अपर्याप्त थी
- स्पाइसेस बोर्ड के 'मैनुअल ऑफ जनरल प्रोसीजर' की पैरा सं.12.8 के अनुसार स्टॉक/सामान का वस्तुगत सत्यापन प्रभारी अधिकारी या उनकी नामिती द्वारा हर वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जाना चाहिए

और सत्यापन प्रमाणपत्र परिणाम सहित रिपोर्ट की पुनरीक्षा प्रत्येक वर्ष अप्रैल के समाप्त होने के पहले आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी को भेज दी जानी चाहिए। आगे, मैनुअल की पैरा 12.10 और 12.11 बताता है कि सभी उपभोज्य माल का वस्तुगत सत्यापन कार्य वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए और सत्यापन का प्रमाणन सभी निष्कर्षों के साथ रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यह काम किया जा रहा है।

बोर्ड ने (करीब 58 लाख रुपए मूल्यवाले सामान, फालतू पुर्जे और उपभोज्य की खरीद की है/का आयात किया है। लेकिन 31 मार्च 2012 के अनुसार स्टॉक में सामान, पुर्जे या उपभोज्य का कुछ भी शेष नहीं है। जैसेकि 31 मार्च 2012 को है, मालसूची स्टॉक में स्पाइसेस बोर्ड के मैलाडुंपारा कार्यालय का स्टॉक ही शामिल है। बोर्ड की प्रयोगशालाओं एवं अन्य कार्यालयों का मालवार सत्यापन नहीं किया गया था। यहाँ तक कि मैलाडुंपारा के कार्यालय में स्टॉक सत्यापन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है सिर्फ स्टॉक विवरणों की एक विवरणिका स्टॉक में शामिल करने हेतु लेखा अनुभाग को भेजी गई थी।

ह.
उप निदेशक

-ए-

अनुबंध II

वर्ष 2011-12 के दौरान योजना वार प्राप्ति और सहायता अनुदान का उपयोग

रुपए करोड़ में

	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि	पिछले वर्ष से अग्रणीत अनुदान राशि	वर्ष के दौरान आई ई बी आर	वर्ष के दौरान आई ई बी आर सहित प्राप्त कुल अनुदान	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	31/03/2012 को अप्रयुक्त और अगले वर्ष के लिए अग्रणीत राशि	परियोजना का निर्धारित दिनांक	विलंब आदि पर लेखापरीक्षा टिप्पणी
योजना	शून्य	100	शून्य	100	100	शून्य	31/03/12	
गैर योजना	10.75	9	10*	29.75	9.00	20.75	31-03-13	
कुल	10.75	109	10*	129.75	109	20.75	31-03-13	

* 10 करोड़ रुपए निर्धारित निधि के आय का आंतरिक अंतरण है।

ह.

उप निदेशक